क्रमांक 185–4 जी0 एस0 I–74/941

प्रेषक

मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

सेवा में

1. हरियाणा के सभी विभागाध्यक्ष, आयुक्त अम्बाला तथा हिसार, मंडल, सभी उपायुक्त तथा उप मण्डल अधिकारी ।

2. रजिस्ट्रार पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय तथा हरियाणा के सभी जिला तथा सत्र न्यायाधीश।

दिनांक चण्डीगढ़ 11 जनवरी, 1974

विषय :– अनिवार्य सेवा निवृति की आयु सरकारी कर्मचारी का 55 वर्ष के बाद सेवा में रखा जाना।

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान संयुक्त पंजाब सरकार के पत्र क्रमांक 4776–3 जी0 एस0 (I) –64/15823 दिनांक 21–5–64 के पैरा I (V) में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिनमें यह व्यवस्था की गई थी कि जब एक बार किसी कर्मचारी को 55 वर्ष की आयु के बाद सेवा में रखने का निर्णय किया जाता है तो उसे 58 वर्ष की आयु तक सेवा में बिना किसी रिव्यू के रहने दिया जाए जब तक कि ऐसे रिव्यू के लिए विशेष औचित्य न हो जैसे कि उसका बाद का काम या आचरण या उसके स्वास्थ्य की स्थिति आदि।

2. इस बारे में अब यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे केसों में 55 वर्ष के आयु की प्राप्ति के बाद यदि रिव्यू करना जरुरी हो तो ऐसा निम्नलिखित में से किसी कारण के आधार पर किया जाना चाहिए।

1. 55 वर्ष की आयु की प्राप्ति पर सेवा में रखे जाने के बारे में निर्णय लेने के पश्चात बददयानती की शिकायत नोटिस में आना ।

2. बीमारी जो कि बहुत गंभीर हो या जिसके कारण वह चल फिर न सके ।

3. काम में बहुत ज्यादा खराबी ।

4. 55 वर्ष की आयु की प्राप्ति पर सेवा में रखे जाने के निर्णय के पश्चात पहली रिपोर्ट का सामान्य स्तर से नीचे का होना ।

3. यह हिदायतें आपके नीचे काम करने वाले अधिकारियों के नोटिस में दृढ़ता से पालन करने के लिए ला दी जाए और इस पत्र की पावती भेजी जाए।

भवदीय,
हस्ता/–
उप सचिव, राजनैतिक एवं सेवाएं,
कृते : मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

क्रमांक 185–4 जी0 एस0: –I–74/942 दिनांक

एक प्रति महालेखाकार हरियाणा, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतू भेजी जाती है । वित्तायुक्त राजस्व, हरियाणा ।

हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिव, प्रधान सचिव/सचिव/निजि सचिव/मुख्य मन्त्री/मन्त्रिगण/राज्य मन्त्री, हरियाणा सरकार ।